



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29658

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2340/2026

सोनी देवीयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्यप्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : सरोज कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन करने की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2- उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील- पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद चंदौली को वाद संख्या 6018/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514180406018 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका संबंधित न्यायालय को उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार सख्ती से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"